महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

निविदा–प्रपत्र

Invitation to Bid for engagement of Registered Chartered Accountant Firm for Accounts work, Bank Reconcilation & Annual Accounts Audit preparation हेतु निविदा

निविदा क्रमांक / दिनांक–	5457 – 10-7-2026	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि एवं स्थान	निविदा खोलने की तिथि
अनुमानित लागत	04 लाख	दिनांकः– 20-07-26 समयः– दोपहर 01:00 बजे सामान्य प्रशासन अनुभाग	दिनांकः– 20-07-26 समयः– दोपहर 01:30 बजे
धरोहर राशि	8000		
निविदा शुल्क	रू. 500/–		

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम.. ....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या...(प्रति संलग्न है।)
3. निविदा शुल्क की राशि 500/– डी.डी/ऑनलाईन/बैंकर्स चैक रसीद..................................एवं दिनांक...द्वारा जमा करा दी गई हैं। **(वित्त नियंत्रक के नाम देय)**
4. बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या/डी.डी. नं.........................जो आहरित किया गया है दिनांक .... रूपये 8000/– के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है। **(वित्त नियंत्रक के नाम देय)**
5. जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदादाता को 50 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रस्तुतिकरण दिनांक से गत 3 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था से Black List नहीं होने का शपथ पत्र मय नोटेरी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. अनुलग्नक 'ब' रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर मय नोटेरी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा की समस्त स्वीकार्य हैं की घोषणा रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप मय नोटरी पर करना होगा।
9. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे अथवा टंकित होंगे। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
10. सी.ए. की रजिस्टर्ड फर्म होना अनिवार्य हैं। साक्ष्य संलग्न करे।
11. निविदादाता को एक लिफाफे में ही तकनीकी प्रपत्र, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, नॉन ब्लैकलिस्ट स्टांप, अनुलग्नक 'ब' स्टाम्प, सभी शर्तें स्वीकार्य स्टांप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व वित्तीय प्रारूप (दर सहित) जमा करवाने होगे।
12. संलग्न प्रपत्र में वर्णित दरें समस्त कर एवं जीएसटी सहित अंकित की जा रहीं हैं ।

13. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश में वर्णित दिनांक से एक वर्ष की होगी, जिसे Rajasthan Transparnecy in Public Procurement Rules 2013 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
14. उपाप्त की जाने वाली सेवाओं का विवरण अनुसंलग्नक प्रथम पर उपलब्ध है।
15. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा बीकानेर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।
16. निविदा शर्तो के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण व्याख्या, शक एवं संदेह अथवा कोई मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो जाये तो उस स्थिति में कुलगुरू, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
17. निविदा को बिना कारण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
18. निर्धारित अवधि में कार्य करने में अनुबंध संपादित करने असफल होने पर/अपूर्ण /असंतोषजनक कार्य/आपूर्ति कराने की दशा में संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य संपादन प्रतिभूति/धरोहर राशि जब्त करने का अधिकारी विश्वविद्यालय के पास रहेगा।
19. समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण उपरान्त संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य संपादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लोटाई जा सकेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
20. संवेदक को निम्न दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने अनिवार्य है–

a)	ICAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र
b)	निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा के साक्ष्य
c)	निविदा प्रस्तुतिकरण दिनांक से गत 3 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था से Black List नहीं होने का शपथ पत्र मय नोटेरी 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर
d)	अनुसंलग्नक अ, ब, स एवं द (अनुलग्नक 'ब' रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर भी मय नोटेरी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
e)	निविदा की समस्त स्वीकार्य हैं की घोषणा रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप मय नोटरी
f)	PAN No. एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन
g)	समस्त पृष्ठ स्वहस्ताक्षरित स्टाम्प सहित मय निविदा प्रपत्र

21. <u>भुगतान सम्बन्धी शर्ते</u> :–संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल से नियमानुसार करों की स्त्रोत पर कटौती की जाकर भुगतान किया जायेगा।
22. अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे व्यावसायिक शुल्कों के अतिरिक्त वास्तविक आधार पर वि.वि. द्वारा पुर्नभरण किये जायेंगे।
23. रिटर्न/ऑडिट भरने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा। विलम्ब के कारण लगने वाला ब्याज एवं शास्ति संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से जमा करवाई जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान देय नहीं होगा।
24. असंतुलित निविदा प्राप्त की दशा में RTPP नियम, 2013 के नियम 75-A के प्रावधान लागू होंगे।
25. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के आर.टी.पी.पी. नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
26. हम.......................................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

वित्तीय प्रारूप

S.No.	Name of Work	Rate (Incl. all Taxes)	Grand Total
1.	Audit Work (F.Y. 2025-26) (Preparation of Final Accounts, Filing of Income Tax Returns & Other related returns as applicable) Updating and Filing of Previous year's IT returns, if required		
2.	Accounting Work (F.Y. 2025-26) (Preparation and Maintenance of day to day books of accounts)		
3.	Bank Reconcialtion (Main A/c-1814 & Others if any) F.Y. 2025-26		
4.	Bank Reconcialtion (Salary A/c-1823) F.Y. 2003-04 to 2025-26		
5.	TDS Work (F.Y. 2026-27) Filing of all Monthly/Quarterly/Annual IT TDS Returns and Providing consultancy on TDS Deduction and Deposits		
6.	Revised TDS Return (If any) Per Return Rate		

नोट : उपर्युक्त प्रस्तुत दर जीएसटी सहित होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आयाय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देयाा को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देयाा और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>अनुलग्नक "ब"</u>

<u>निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र</u>

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक.................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है।
02. मै/हम नि़विदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षो में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान : ....

तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद एवं पताः कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जैसलमेर रोड, बीकानेर।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद एवं पताः शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर।

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्यानों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः
परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेया से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेयाा की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चिय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगा।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनियायक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

4. **अपील का प्रारूप.–**

(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तियाः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी हैं, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्याधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्‌द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में

बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के

बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत ।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरेनिम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

प्रारूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं.........................

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की प्रवियिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :...

....

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...

....

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेयाा का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेयाा पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

....

.... (याापथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर